pan>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Television Broacasting Companies (Regulation) Bill, 2015 (Bill Withdrawn).

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों द्वारा ब्रॉडकास्टिंग चैनलों को बंद किए जाने तथा उससे संबंधित विषयों का विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, इस घटना से पहले मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। यहां व्हिप जारी होने के कारण मैं घर नहीं जा सका, कल मेरे गुरूदेव का जन्म दिन था। मुझे उन्हीं की बात इस बिल के संदर्भ में याद आई। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि सूचना और सोचना, अगर ये दोनों चीजें साथ होंगी तो निश्चित रूप से परिणाम भी ठीक होंगे और निर्णय भी सही होगा। जब मैं इस बिल की बात करता हूं, जिन ब्रॉडकॉस्टिंग कंपनियों के बारे में सदन में चर्चा कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि सदन इस पर गंभीरता से विचार करेगा। पहली चीज आती है, जितनी भी ब्रॉडकॉस्टिंग कंपनियां हैं, वह काम क्यों करती हैं? वह व्यापार के लिए करती है या परोपकार के लिए करती हैं। मैं मानता हूं कि जब कभी कोई जागरण का काम होगा तो वह व्यापार नहीं हो सकता है, वह परोपकार ही हो सकता है। जब कभी देश में कोई न्यूज चैनल चलता है, जब यह चर्चा मेरे मन में आई थी, उस समय किसी भी न्यूज चैनल का रजिस्ट्रेशन भारत में नहीं होता था बल्कि बाहर के देशों से रजिस्ट्रेशन कराना होता था और हम उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाते थे। उस समय सेट-टॉप बॉक्स का बिल इसी सदन के भीतर आया था, उस समय भी मैंने यही बात कही थी। पिछले दो वर्ष पहले अचानक कोई चैनल बंद हो गया, उसके भीतर जितने वरिष्ठ पत्रकार,

फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को चलता कर दिया गया। यह पता चला कि सरकार को उनको कुछ देना नही है, केवल एक करोड़ रुपये जो पड़ा हुआ है उसको राजसात कर देना है।

सभापति महोदय, मुझे उसी दिन लगा कि कहीं-न-कहीं इस पर अंकुश की जरूरत है। सदन इस पर चर्चा करे। सरकार कानून लेकर आएगी, सरकार के बहुत-सारे कानून हैं। जब वे कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, तो कंपनी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, परन्तु अक्सर ऐसा नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि जो टेलीविजन कंपनियां हैं, उन सबके सामाजिक सरोकार इतने बड़े हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र इतने बडे हैं कि कोई भी उन पर बहुत आसानी के साथ उनके खिलाफ जाना नहीं चाहता, उन पर हाथ नहीं डालना चाहता। मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि हम किस दृष्टिकोण से इन पर चर्चा करें। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं, ऐसा नहीं है।

मैं मजदूरों के बीच काम करता था, तब भी मैं यह बात महसूस करता था कि कभी कोई फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर अगर किसी एक्सीडेंट में मारा जाए, तो उसके प्रभाव के कारण उसको कोई मदद मिल जाए तो मिल जाए अन्यथा उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। अगर उस मीडिया ग्रुप का कोई रेग्युलर इम्पलाई है, तब तो उसकी पेमेंट के साथ में उसकी इंश्योरेंस होगी, लेकिन अगर वह परमानेंट इम्पलाई नहीं है, तो चाहे वह कितनी ही वर्षों से काम कर रहा हो उसकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी ऑन पेपर कहीं पर एक नम्बर पर नहीं है, यह बात बिल्कुल साफ है। मुझे लगता है कि जब कभी चैनल बंद होता है, तो चैनल पर कोई तो जवाबदेही होनी चाहिए, कोई नैतिक जवाबदेही तो उसकी बनती है, पर उसकी कानूनी बाध्यता कुछ है कि नहीं? उससे जुड़े हुए समूह में लगे हुए लोग जो लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद करते हैं, उसके लिए कामकाज करते हैं। क्या उनके जीवन के, उनके बच्चों के, उनके परिवारों के भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए? मेरा इस विधेयक को लाने के पीछे अगर कोई मकसद है तो मकसद सिर्फ इसी घटना के कारण है।

इसलिए सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जागरण के इस पवित्र उद्देश्य से जो काम शुरू हो रहा है, आज देश में दुर्भाग्य से वह कहीं-न-कहीं सिर्फ व्यापारिक और निजी हितों तक ही सीमित रह गया है। इसलिए मुझे लगता है कि कभी इस सदन को निश्चित रूप से इन तमाम कंपनियों को जो टेलीविजन की ब्राड कॉस्टिंग कंपनियां हैं, इनका एक बार आबजर्वेशन होना चाहिए। लोग कह सकते हैं कि उनका कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है, तो कंपनी एक्ट के तहत कार्रवाई हो।

दूसरी बात यह है कि ये कंपनियां जब काम करती हैं, तो उनके काम करने के तरीकों पर, लोग कहेंगे कि यह प्रसार भारती है, कोई कुछ और कहेगें। लेकिन, मुझे लगता है कि अभी भी उस पर अंतिम निणर्य नहीं हुआ है। इस सदन में तमाम वरिष्ठ लोग हैं, जो इस पर अपनी बात कहेंगे। लेकिन, प्रसार भारती हो या अन्य कोई प्लेटफार्म्स हों, वे कभी भी बहुत आसानी के साथ इन पर कार्रवाई करने की क्षमता नहीं रखते हैं, वह अधिकार उनके पास नहीं है। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कहीं-न-कहीं यह किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, किसी समूह की ताकत का सवाल नहीं है कि वह किसकी विचारधारा के साथ जाता है, किसके साथ नहीं जाता है। मेरे जैसा व्यक्ति यह बात मानता है कि हम जब कभी किसी को मौखिक रूप से कोई बात कहते हैं, सुना देते हैं या वह पढ़ लेता है, वह उतनी प्रभावशाली नहीं होती है। उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली वह तब होती है, जब चित्र के साथ वह बात प्रस्तुत होती है और ज्यादा मारक भी होती है। प्रभाव का मतलब यह नहीं है कि वह नुकसान नहीं करेगी। दूसरी बात आती है कि जब वह इतना प्रभावी तंत्र है, इतना प्रभावी प्लेटफार्म है कि आसानी के साथ कोई सरकारें इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होती, तो आम आदमी की क्या हैसियत है, उसके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी की क्या सामर्थ्य है कि वह जाकर उनके खिलाफ लड़ेगा या उनके सामने जाएगा या उनके खिलाफ न्यायालय में जाए। यह सब इतना आसान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनना चाहिए, जब यह इतनी जवाबदेही का सिस्टम है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और चौथा

स्तम्भ मीडिया है। आखिर यह भी तो मीडिया का ही हिस्सा है। जब इतनी बड़ी जवाबदेही का तंत्र है, जो सबकी समीक्षा का अधिकार रखता है, जो सबके बारे में जब मर्जी आए अपनी बात बेवाक तरीके से कहता है। इस देश में आजादी है, बाकी देश में होगी या नहीं होगी। इसका मतलब है कि समाज के एक बड़े वर्ग को निश्चित रूप से प्रभावित करता है, यह बात बड़ी साफ है। जब इतना प्रभावशाली तंत्र अपने आप में सामने खड़ा है और उसके बाद उसके भीतर ही इतनी सारी विसंगतियां हों, उदाहरण के लिए वे हमारे बारे में या हमारी सरकार की नीतियों के बारे में, राज्य सरकार की नीतियों के बारे में, मजदूर संघों के बारे में, जब इस बात की वह समीक्षा करता है, कोई भी इलेक्ट्रानिक चैनल या कोई भी मीडिया ग्रुप जब यह बात डिस्कशन करता है कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है?

17 00 hrs

सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी के जितने पैमाने, नियम और कानून हैं, वे ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तब जरूर उंगली उन पर भी उठती है कि जब आप अपना चैनल बन्द करते हैं तो आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी कौन लेगा? वे भी देश के उस कानून के तहत आते हैं, उन तमाम कानूनों और मर्यादाओं से बंधे हुए लोग हैं। आप तमाम लोगों की समीक्षा करेंगे, आप कानून की समीक्षा करेंगे, उन कानूनों का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी समुदाय की समीक्षा करेंगे, कानून बनाने वाले राजनेताओं की समीक्षा करेंगे, राजनीतिक दलों की समीक्षा करेंगे, लेकिन जब आप पर गुजरती है, आपके लोगों पर गुजरती है और आपके द्वारा गुजरती है, तब उसकी समीक्षा कौन करेगा? मेरे इस बिल को लाने के पीछे यही दर्द था। इसलिए मैं कहता हूं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बिना किसी बंदिश के या बिना ऐसे किसी फ्रेमवर्क के हो तो मुझे लगता है कि यह देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इस नाते मैं यह बिल आज सदन में लेकर आया हूं। उनकी जवाबदेही है और वे नैतिक रूप से ज्यादा जवाबदेह हैं। जब आप कोई चीज दिखाते हैं, खासकर उस क्षण जब लाइव टेलीकास्ट होता है, ऐसी विसंगतियां सामने आती हैं

कि असंसदीय शब्द है 'झूठ', लेकिन यह बात है कि कुछ 'झूठी' खबरें निकल जाती हैं, कुछ गलत बातें निकल जाती हैं। कुछ त्रुटिपूर्ण बातें रिले हो जाती हैं, भ्रामक सूचनाएं भी उसके साथ में जाती हैं। तीसरी बात यह होती है कि विवेक के आधार पर इस बात को तय करना कि क्या चीज प्रसारित होनी चाहिए और क्या चीज प्रसारित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास एक तंत्र है, आप कहते हैं कि यह हमारे ग्रुप एडिटर हैं, एडिटर हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया में नीचे तक और भी तमाम पद हैं। फिर गलतियां कैसे हो सकती हैं? अगर गलतियां हुई हैं तो उन जवाबदेह लोगों का एक बड़ा चैनल है, उसके बाद भी अगर गलती होती है तो उसकी जवाबदेही किस पर जाएगी? क्या इस प्रकार की गलतियों पर कोई अंकुश लगाने का कानून देश में है? यह जवाबदेही क्या सिर्फ नैतिक रह जाएगी? क्या कानूनी रूप से जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए?

मेरे इस बिल की दूसरी मंशा यह है कि जब इतना प्रभावशाली मंच है और अगर उससे कोई गलती हो गई है तो स्वाभाविक है कि वह बड़ी जगह पर बड़ा नुकसान करेगी, क्या ऐसी जगह पर कानून नहीं होना चाहिए? क्या तात्कालिक रूप से जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? यह मेरा दूसरा आशय है। तीसरी बात मैं यह कहता हूं कि हम सरकार के सरोकारों की बात करते हैं, समाज के सरोकारों की बात करते हैं, हम बाकी समूहों के सरोकारों की बात करते हैं तो क्या मीडिया समूहों के सरोकारों की बात नहीं होनी चाहिए? यह मेरा तीसरा बिन्दु है। मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से इनके सरोकारों के बारे में भी विचार होना चाहिए।

यह दौर अब सिर्फ इतना सीमित नहीं रहा है कि भारत का कोई मीडिया ग्रुप या मीडिया कंपनी काम कर रही है। अब अन्य तमाम देशों के बड़े ग्रुप यहां आकर, हमारे इन ग्रुपों में शामिल होकर उस अभियान को और तेज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वह परिस्थिति हमारे सामने आ चुकी है, जब हमने एफडीआई का रास्ता खोला और बाहर से दूसरे मीडिया ग्रुप्स उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करने लगे और यहां पर मीडिया ग्रुप या कंपनीज चलाने का काम कर रहे हैं। तब मुझे लगता है कि इस सदन को बहुत जल्दी इस पर भी विचार करना चाहिए कि कहीं

ऐसा न हो कि जिन बातों को हम तय करते हैं, जो लोग हमारे प्रति या हमारे देश के प्रति अच्छा भाव नहीं रखने वाले हैं, कहीं वे इसे अपने दुष्प्रचार का माध्यम तो नहीं बना लेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि हम किसी पर शंका न करें। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि उस समूह में कौन लाभ कमाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं, जिनके बारे में निश्चित रूप से कानून की शक्ल होनी चाहिए या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके भीतर इनकी समीक्षा हो सके।

मैं सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि मीडिया सेक्टर में जो कंपनीज होती हैं, उनमें कुछ चीजें तय होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे किसी डाक्टर के बारे में समाचार आया, हमने समाचार में सुना या पढ़ा कि ऑपरेशन हुआ और मरीज के पेट में एक तौलिया रह गया। सबको पता है कि तौलिया पेट में नहीं रह सकता, कोई ब्लड सोखने का कॉटन या कोई छोटी-मोटी चीज हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे तौलिया कहेंगे तो जो आम आदमी उसे देख रहा है या सुन रहा है, उसे लगता है कि पांच-छ: फीट का कोई तौलिया पेट में रह गया होगा। मुझे लगता है कि जब कभी ऐसी बातें चलती हैं तो क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? आखिर हम इतनी अतिरंजना के साथ किसी बात को कहकर समाज में कौन सा भला करने वाले हैं?

क्या समाज में एकता नहीं होनी चाहिए? हम पर तो बहुत-सी नैतिक जिम्मेदारियाँ डाली जाती हैं। हर जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी है भी कि उसके द्वारा भूल से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या यह जवाबदेही चौथे स्तम्भ पर नहीं होनी चाहिए, क्या ऐसी कंपनियों की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें एक-एक चीज पर बात करनी चाहिए। यह ठीक है, वह प्रभावशाली तंत्र है, प्रभावशाली मंच है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि उसे इस बात की आज़ादी मिल जानी चाहिए कि उसकी जो मर्ज़ी आए, वह करता रहे। एक छोटी-सी बात का असर हुआ कि उसके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ऐसा हुआ।

मैं जबलपुर की एक घटना से प्रभावित था। एक पत्रकार की उसके घर के सामने...उसी दिन उसके बच्चे का जन्म हुआ था। विधवा पत्नी थी, वह नौज़वान थी, उसके आगे-पीछे कोई नहीं था। जब उसकी लड़ाई शुरू हुई, चूंकि वह कहीं पर एनरोल नहीं था, वह किसी का एम्प्लाई नहीं था। अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं होती, तो उसको दस लाख रुपये की भी राहत नहीं मिल पाती। ऐसी दो-तीन घटनाओं ने मेरे जैसे व्यक्ति को उद्वेलित किया। एक तरफ हम सामान्य मज़दूर के लिए क़ानून बनाने की बात करते हैं। लेकिन ये पढ़े-लिखे लोग हैं, समाज के सरोकारों के लिए काम करने वाले मीडिया-पर्सनल्स हैं, क्या उनकी ज़िन्दगी में इस प्रकार की राहत नहीं होनी चाहिए, इस बात का संरक्षण नहीं होना चाहिए?

जो मैं बिल लेकर आया हूँ, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी एक कम्पनी भर के बारे में विचार किया जाए, बल्कि कम्पनियों के कामकाज़ पर भी विचार किया जाना चाहिए कि वे कैसे काम करती हैं। अपने गठन के समय वे जिन उद्देश्यों को पूरा करने की बात करती हैं, वे उनके विपरीत तो नहीं जा रही हैं। हम कई बार यह सोचते हैं कि यह लीज़ है, स्कूल बनाने के लिए, लेकिन जब हम स्कूल नहीं बनाते हैं, तो उसकी लीज़ कैंसिल हो जाती है। हम कहते हैं कि आपने जिस काम के लिए यह भूमि ली थी, अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया, आपने उसकी लैंड यूज़ बदलने की कोशिश की है, तो आपकी लीज़ समाप्त हो जाएगी।

जो ब्रॉडकास्टिंग कम्पनियाँ हैं, वे जिन उद्देश्यों के लिए पंजीकृत होती हैं और अपना काम शुरू करती हैं, जब वे अपने उद्देश्यों के खिलाफ जाती हैं, तो कहीं-न-कहीं उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ।

जब मैं यह बात कहता हूँ कि वे पैसे कमाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए विज्ञापन जगत है। सरकार के पास नियम हैं, उनके अपने रेट्स हैं। सरकार जब विज्ञापन देती है, तो उसके अपने रेट्स हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी कोई पारदर्शी व्यवस्था है, जिसके तहत सरकार के लिए जो रेट्स हैं, सरकार उसी के आधार

पर भुगतान करेगी, लेकिन प्राइवेट एजेंसीज़ के लिए अलग व्यवस्था है। लेकिन वह कभी स्पष्ट नहीं होता है कि हम उसे किस सीमा तक ले सकते हैं। यह कोई ऐसा व्यापार नहीं है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसमें मनमर्ज़ी करने की छूट होगी। यह ठीक है कि सरकार को दस रुपये लगेंगे क्योंकि सरकार समाज के लिए काम कर रही है। वह टैक्स पेयर्स का पैसा है, मेहनत का पैसा है। वह उस परिवार के पास भी होता है, जो प्राइवेट तौर पर विज्ञापन दे रहा है। लेकिन यदि आपको लगता है कि यह कमर्शियल है, यह भी कमाएगा, तो आप उसमें रेट तय कर दें। क्या इसके लिए भी कोई क़ानून है? इसके लिए भी कोई सीमाएं हैं? जब आप एक तरफ पूरे समूह के लिए लाभ कमाने का काम करते हैं, तो आपको उसकी भी चिन्ता करनी चाहिए, जो समूह में पैसे कमाने के लिए आपका सहयोगी था, चाहे वह कैमरामैन हो, पत्रकार हो, संपादक हो। क्या रैशनलाइज़ेशन तरीके से उनको उसका लाभांश मिलता है? ऐसी कोई व्यवस्था मुझे नहीं दिखती है। यदि ऐसी कोई व्यवस्था होगी, तो शायद मुझे मालूम चलेगा, मेरी जानकारी बढ़ेगी। लेकिन अभी मैं भाषण कर रहा हूँ और अब तक मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किसी फॉर्मेट के भीतर कोई अपने निचले कर्मचारियों-सहयोगियों को लाभ देता है। यह बात मेरे ध्यान में नहीं है।

मुझे एक बात और लगती है कि जब कभी मैं कहता हूँ कि समाचारों को गलत ढंग से प्रसारित न किया जाए, तो मेरे जैसे व्यक्ति की यह अपेक्षा है कि इस क़ानून के तहत यह भी प्रावधान होना चाहिए कि चाहे कोई एंकर हो, प्रबंधक हो, ग्रुप एडिटर हो, कहीं पर तो योग्यता की बात होनी चाहिए। मैं उनको अयोग्य नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि विषय का जानकार होना चाहिए। यदि हम देखें, तो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे न्यूज़ चैनल्स चलते हैं, एक ही बातें रिपीट होती रहती है। लेकिन कहीं पर जवाबदेही तो होनी चाहिए कि हम समाज को क्या परोस रहे हैं, हम समाज को क्या देना चाहते हैं?

सभापति महोदय, इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ न्यूज़ नहीं, बल्कि बाकी चीज़ें भी तो ये कंपनियां चलाती हैं। उसमें सीरियल्स होते हैं। क्या इनके लिए कोई जवाबदेही नहीं है? समाज में आप जो परोस रहे हैं, क्या वह हमारी सांस्कृतिक

व्यवस्था के अनुरूप है? वह हमारी सामाजिक व्यवस्था को मज़बूत करेगा या कमज़ोर करेगा? वह हमारे मूल्यों को घटाएगा या मूल्यों को बढ़ाएगा? क्या वह मूल्यों को प्रेरित करने का काम करेगा? आने वाली पीढ़ी को वह जानकारी तो दे, दुनिया की जानकारी दे, लेकिन कम से कम इस ज़मीन की जानकारी भी दे, ताकि उसका रास्ता न भटके।

सभापति जी, मुझे लगता है कि जब कभी मैं यह बात कहता हूं, तो कुछ तो तय होना चाहिए कि वास्तव में हम कहां से कहां जा रहे हैं। यह मेरा उद्देश्य था, इस बिल को लाने का। आगे, मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि जब कभी देश के लिए ये मीडिया ग्रुप्स बनते हैं, जैसा कि मैंने शुरूआत की थी, कि पहले जब कभी न्यूज़ चैनलों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए, तो भारत की ज़मीन से बाहर कराए। इसी सदन में जब मैंने पूछा था, तो यह बात सच साबित हुई थी। लेकिन ठीक है, आज हमारे देश में रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं। हम देश के लिए काम कर रहे हैं। हम देश की मज़बूती के लिए काम कर रहे हैं। क्या देश का चित्र समाज के सामने परोसने का काम हम कर रहे हैं? क्या वे चीज़ें, जो हम बनाएं, जो हम बांटें, जो हम बताएं, क्या वे देश की संस्कृति को मज़बूत करने वाली हैं?

सभापति जी, क्या कभी इस आधार पर भी सरकारें इसे तय करेंगी? लोग कह सकते हैं कि मीडिया स्वतंत्र है, उसको सरकार बांध नहीं सकती है, लेकिन सरकार की और समाज की अपेक्षा तो है। जो अपेक्षा आप न्यायपालिका से करते हैं, जो अपेक्षा आप कार्यपालिका से करते हैं, जो अपेक्षा आप व्यवस्थापिका से करते हैं, वही अपेक्षा इस चौथे स्तंभ से करना क्या गलत है? इसलिए मुझे लगता है कि वह जवाबदेही वहां पर भी होनी चाहिए। डिस्कशन उस पर भी होना चाहिए। मैं उस नाते ही इस सदन में इस बात को रख रहा हूं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात को कहता हूं। मैं दत्तोपंत थेंगड़ी की थर्ड-वे, तीसरा रास्ता किताब पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था कि संस्कृति में भी हम बदलाव को स्वीकार करते रहे। हमने कभी इस बात पर हठ नहीं किया। धर्म ऐसी चीज़ है, जिसको बदला नहीं जा सकता। उसके सिद्धांतों को नहीं बदला जा सकता। लेकिन उन

तमाम समयकाल परिस्थतियों के आधार पर संस्कृति में परिवर्तन स्वीकार होता है।

सभापति जी, हम देखते हैं कि जब कुंभ लगता है, तो हम बहुत सारी बातों को कालग्राही मानकर अलग करते हैं और नई बातों को अपने साथ में, सरोकार के साथ में जोड़ते हैं। लेकिन मीडिया कभी उन बातों को नहीं बताता है। अगर मीडिया बताए, कि कोई दिगम्बर साधु है, जो खड़ा हुआ है और चिलम पी रहा है, उसको तो वह प्रचारित करेगा, लेकिन 12 बरसों के एक युग के बाद में जो सामाजिक सरोकारों में होने वाले परिवर्तन हैं, उस पर जो गंभीर मंत्रणाएं होती हैं, जो हमारी श्रुतियों और स्मृतियों के आधार पर उनमें परिवर्तन होते हैं, उनका कभी उल्लेख नहीं होता है। क्या वह प्रमुखता के साथ नहीं होना चाहिए? यू.एन.ओ. ने भी मान लिया है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई समूह नहीं हो सकता, जिसमें कोई आमंत्रण नहीं बंटता, जिसकी बाकी कोई व्यवस्थाएं नहीं होतीं, जिसकी कोई सूचना नहीं होती, कलेंडर में पता नहीं ढूंढने पर एक छोटी सी लाइन मिल जाती है और अनपढ़ आदमी से लेकर पढ़ा-लिखा आदमी उस कुंभ में जाता है। वह उसमें अपनी व्यवस्था से जाता है और चला आता है। करोड़ों लोग जब इस व्यवस्था का पालन करते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या ये चीज़ें इस समाज को और दुनिया को बताने के लिए नहीं हैं? यह सिर्फ देश का सम्मान नहीं है। यह सिर्फ देश का काम नहीं है, बल्कि दुनिया को बताने लायक चीज़ें हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है।

सभापति महोदय, मैं तीसरी बात शिक्षा के बारे में कहता हूं। हम शिक्षा को सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं मानते हैं। हम शिक्षा को सिर्फ स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई से नहीं जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि समाज को भी पढ़ो और पुस्तकों को भी पढ़ो। जब दोनों को कोई पढ़ता है, तो वह शायद बहुत श्रेष्ठ नागरिक बनता है। जब कभी इन बातों पर चर्चा होती है, तो हमारी आलोचना हो। हमारी कमियां हैं, तो हमारी आलोचना है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या तुलना के आधार पर इन बातों पर इन मीडियों समूहों में कभी बातचीत होती है? जब मैं इन विषयों की बात करता हूं, यदि कोई रिसर्च की बात करेगा, तो उसी योग्यता के आधार

पर जब वहां पर एंकर होगा, तब ही तो वह अपनी बात कह पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी विषय हों, उन विषयों का जानकार वहां पर हो। पुरातत्व की हमारे पास बहुत समृद्ध विरासत है, लेकिन जब हम को पढ़ाया जाता है और हमसे यह कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जो हमसे ज़्यादा पुरातन और प्राचीन हैं। बाद में धीरे-धीरे पता चलता है कि डॉक्युमेंटेशन करने में हमने कोई गलती कर दी होगी, लेकिन उसके बाद भी हम ज़्यादा पुराने हैं। ऐसे अनेक मामले अब हमारे सामने आ गए हैं। इसके बावजूद भी क्या हम कभी इन कंपनियों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते? क्या इन पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? हम भारत के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। हम भारत के हितों के लिए काम कर रहे हैं। हम भारत से ही कमा रहे हैं और भारत के लिए ही हम उसको देना चाहते हैं। जब आपका इतना बड़ा उद्देश्य है, तो ऐसी बातों से दुनिया के सामने जो चित्र उभरकर सामने आता है, उसको साफ करने का काम कौन करेगा?

जब हम इस बात पर गर्व करते हैं कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी यू.एन. गए थे, तो वह पहले प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने हिन्दी में भाषण दिया था। आज दुनिया भी उनका लोहा मानती है और हम भी गर्व के साथ अपना सिर ऊपर करते हैं। मीडिया ग्रुप्स के साथ में हमारी भी यह अपेक्षा होती है कि दुनिया में ये चीजें होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: ये प्राईवेट मैम्बर्स रिजॉल्यूशन है, जो इनिशियेट करता है, उसको समय मिलता है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि जब कभी हम अपनी ऐसी चर्चाओं की अपेक्षा करते हैं तो इलैक्ट्रोनिक मीडिया, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यदि उस पर कोई अच्छा डिस्कसन होगा, कोई बेहतर बात उस पर होगी तो निश्चित रूप से दुनिया में हमारी अच्छाइयां भी जाएंगी। ये देश कभी भी आलोचना से नहीं घबराया है, संवाद और विमर्श से नहीं घबराया है। हमेशा हमने माना है कि विमर्श अच्छा हो, विमर्श हितकारी हो, विमर्श सकारात्मक हो, विमर्श आगे बढ़ने वाला हो। इसलिए मैं मानता हूं कि यह बेहतर

प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी सीमाएं निश्चित रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए कि वास्तव में उसके कर्त्तव्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, उसके दायित्व क्या हैं?

सभापति जी, मेरा चौथा पॉइंट नदियों का है। हमारे पास में नदियां रही हैं। एक समय हम कहते थे कि हमारे यहां दूध की नदियां बहती थीं। अभी मैं एक जनसंख्या के कार्यक्रम से आया हूं, जो सौ करोड़ वीं बेटी थी, वह उस कार्यक्रम में आई थी। उसने जो बात कही थी, उसी को मैं दोहरा रहा हूं। उसने कहा था कि इस देश में एक समय दूध की नदियां बहती थीं, लेकिन अब तो नदियों में जल भी नहीं बहता है। नदियां भी सूखने लगी हैं। क्या यह चिंता का विषय नहीं है?

सभापति महादेय, मैं इस सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अटल जी राज्य सभा के सदस्य थे। मैं वर्ष 1989 में पहली बार इस सदन में आया था। उस समय चन्द्रशेखर जी देश के प्रधान मंत्री थे। अटल जी का वह भाषण मैंने राज्य सभा की दर्शक दीर्घा से सुना था। बात तो कुछ और थी। बात यह थी कि चन्द्रशेखर जी को 'देशद्रोही' कहा गया था, लेकिन मूल्य स्थापित करने के बाद अटल जी ने राज्य सभा में कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध पीने के पानी के लिए होगा। देश की आबादी बढ़ रही है, देश की आबादी का घनत्व तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारी बारहमासी नदियां सूख रही हैं। जल का भीषण संकट है। इसके बाद भी यदि हम इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि यह देश के हित में नहीं होगा। जल संकट है, जल का संकट दिख रहा है। हमारे मनीषियों में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोगों ने कहा है, यह सच भी है कि यह देव भूमि है। हमारे पास अण्डरग्राउण्ड वाटर के सोर्सेज़ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, मीठे पानी के सोर्सेज़ ज्यादा हैं, बहते हुए पानी में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ पीने के लायक है। मोदी जी के नेतृत्व में आज सरकार पीने के पानी के लिए बांध बनाकर बाकायदा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर रही है।

मैं अटल जी का जिक्र कर रहा था। अटल जी ने कितनी दृढ़ता के साथ वर्ष 1989 में जब मैं पहली बार संसद में आया था, तब उन्होंने यह बात कही थी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पीने के पानी के लिए होगा। क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि आने वाले 30-40 साल के लिए आगे तक सोचें? इसी मंशा

से किसी की आलोचना के लिए यह बिल लेकर नहीं आए हैं, किसी के खिलाफ इस बिल को लेकर नहीं आए हैं। मीडिया की ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों का निर्वहन यदि ठीक तरीके से नहीं होगा और समाज में एक बार भ्रम फैल गया तो जो नुकसान वह करेगा, वह बहुत भयानक होगा। एक समय ऐसा था, उस समय पंचवर्षीय योजनाएं थीं। चुनाव को हम जागरण का अभियान मानते थे, पर्व मानते थे। लोग भी पांच साल में चुनाव के समय सजगता के साथ सुनने के लिए जाते थे। बीच के काल-खण्ड में मूर्धन्य लोगों को सुनने जाते थे, अटल जी जैसे लोगों को सुनने जाते थे।

तमाम पार्टियों के लोग, कर्मचारी और अधिकारी उनको सुनने के लिए जाते थे। अन्यथा ऐसे कार्यक्रमों में कार्यकर्ता के अलावा कोई भाग नहीं लेता था, कोई संख्यात्मक कार्यक्रम नहीं होते थे। यह बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि एक समय जागरण का एकमात्र अधिकार हुआ करता था, जब चुनाव का पर्व आता था, तब लोग मानते थे कि हमें नेताओं की सुननी चाहिए। उसके बाद हम अपने वोट का फैसला करेंगे। लेकिन आज जो मीडिया है, उसमें भी इलेक्ट्रानिक मीडिया, जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां हैं, चाहे वे न्यूज के माध्यम से अपनी बात कहें, चाहे डिबेट के माध्यम से अपनी बात कहें या चाहे किसी सीरियल के माध्यम से अपनी बात कहें, ये निश्चित रूप से समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही हैं। उससे हम जैसे लोगों की यह अपेक्षा है कि हां, वे संस्कृति के बारे में बात करें, वे शिक्षा के बारे में बात करें, वे पुरातत्व के बारे में बात करें, वे नदियों के बारे में बात करें, वे वन के बारे में बात करें। आज अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं और वनीकरण की बात करते हैं, एक आंकड़ा शायद जिसे बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, मैं स्टैण्डिंग कमेटी में था। एक बार एक आंकड़ा आया कि डेन्सिटी ऑफ फारेस्ट इन-इन हिस्सों में बंट गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि डेन्सिटी ऑफ फारेस्ट आज से बीस साल पहले उन क्षेत्रों में बढ़ा था, जहां इनसर्जेन्सी थी। क्या डेन्सिटी ऑफ फारेस्ट यानी वन के घनत्व को बढ़ाने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाएगा? ये जो विसंगतियां आंकड़ों के रूप में बताई जाती हैं और मुझे लगता है कि जब कभी ऐसी चीजें सामने आती हैं, तब हम सबको जागना होगा और सबको विचार करना होगा। मैं उस नाते ही इस

गंभीरता को कहता हूं कि जब कभी मीडिया तंत्र की बात आती है, किसी इलेक्ट्रानिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की बात आती है, तो उसी उद्देश्य से, उसी पवित्र भाव से मेरी अपेक्षा यह है कि मेरी बात सौ लोग सुनेंगे, हजार लोग सुनेंगे, पांच हजार लोग सुनेंगे। लेकिन आपकी बात तो लाखों-करोडों लोग एक बार में सुन रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी, तो वह कितने गुना नुकसान करेगी। मैं इस गंभीरता के कारण इस बिल को लेकर आया हूं कि हमको कहीं न कहीं तो तय करना ही पड़ेगा कि गलती होने के दुष्परिणाम क्या होंगे? उन दुष्परिणामों के बारे में जिम्मेदार कौन होगा? उन परिणामों की जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कानून होगा?

सभापति महोदय, मैं नार्थ-ईस्ट में अभी कुछ समय पहले पार्टी के काम से गया था। वहां पर सब जगह मीडिया नहीं है। लेकिन उसके बाद में ऐसी-ऐसी घटनाएं घटीं कि एक नौजवान खत्म हो गया, 56 दिनों तक उसकी लाश रखी रही थी, कभी मीडिया में नहीं दिखाया गया। मैंने इसी सदन में उसको उठाया था। यानी एक-एक साल से ज्यादा 11-11 लोगों की लाशें, वहां पर उन्होंने फ्रीजर में बर्फ के साथ रख दीं और कहते हैं कि एक साल से भी ज्यादा की घटना उस मणिपुर की धरती पर घटी है। अगर वही चीज मीडिया के किसी केन्द्रबिन्दु पर होती, तो मैं पूछता हूं कि क्या संभव था? मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं उसकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि क्या ये अंतर समाज को ठीक करेगा, क्या समाज में यह एकजुटता लेकर आएगा, क्या नुकसान नहीं करेगा? ये जो चीजें हैं, वे प्रश्न बनकर खड़ी हैं और जिनके उत्तर निश्चित रूप से हमें कानून की परिधि में खोजने पड़ेंगे। मेरा यह कहना है कि खनिज है, अनुसंधान है, खनिज की भी यही स्थिति है। मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा कि मैं हमेशा मानता हूं, लेकिन हो सकता है कि लोग मेरी बात से सहमत न हों। ईश्वर ने किसी के साथ में अन्याय नहीं किया है। किसी को जमीन के ऊपर दिया है और किसी को जमीन के नीचे दिया है। लेकिन उन बातों को अगर हम सामने नहीं रखेंगे, तुलना नहीं करेंगे, तो यह निराशा बढ़ती जाएगी और हम उपभोक्तावाद की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, इन्डिविजूअल बेनिफिट पालिटिक्स की भी तरफ आगे बढ़ेंगे, हम प्रलोभन की भी बात करेंगे, हम लालच की भी बात करेंगे, हम ऐसा

कर देंगे। मुझे लगता है कि यह सब प्रकार से नुकसानदेह होगा। मैं इस नाते मानता हूं कि इसकी जवाबदेही सबकी है, सदन की भी है, सरकार की भी है, इस मीडिया समूह की भी है और इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं, राजनीतिक विचारधाराओं पर, राजनीतिक चिन्तकों पर, धर्मों पर, धर्म के तौर-तरीकों पर, उनकी पूजा-पद्धतियों पर, उनके नुकसान पर, उनके फायदे पर, इन सब पर भी बात हो सकती है। ज्वलंत प्रश्न बहुत से हैं। जनसंख्या है, पीने का पानी है, आतंकवाद है, ऐसा तमाम सवाल हैं, जिन पर समय की मर्यादा के साथ कहीं न कहीं चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैं बिल ड्राफ्ट कर रहा था, तब मेरे मन में यही बात थी की उन तमाम जुड़े हुए लोगों की सोशल सिक्योरिटी की गारंटी का क्या होगी, जिनके चैनल बंद हो जाते हैं। मेरा फोकस उसी बात पर था कि कहीं न कहीं उन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों के बारे में हमें तय करना चाहिए कि उनके रजिस्ट्रेशन के समय आप जो भी उनसे सिक्योरिटी लेते हैं, उस सिक्योरिटी से सामाजिक सुरक्षा को पूरा नहीं किया जा सकता है। आपके रजिस्ट्रेशन की शुल्क अलग हो सकती है, लेकिन जो कर्मचारी उससे जुड़ते हैं, उनकी जवाबदेहियां भी किसी न किसी खाने में सुनिश्चित होनी चाहिए।

फिर तीसरी बात आती है कि आपने अपने कर्मचारियों के हितों के बारे में जरूर चिंता कर ली, उनके परिवार के बारे में कर ली। लेकिन उससे आगे इस देश के बारे में भी तो सोचिए कि कम से कम आपके प्लेटफॉर्म से तो ऐसी गलती न हो जो देश को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा दे। यदि हमने एक भ्रम भी इस समाज के भीतर खड़ा कर दिया और जो खतरनाक साबित हुआ तो वह देश और समाज के लिए हितकारी नहीं होगा और उसके लिए जवाबदेही किस पर जाएगी, यह कानून के फ्रेमवर्क में कहीं न कहीं आना चाहिए। चौथी और अंतिम बात मैं कहूंगा कि जब कभी ऐसे अवसरों पर, यह हमारा काम नहीं है, यह सरकार का काम नहीं है, यह उसी संस्था का काम है, जो अपने उस ऑर्गनाइजेशन को खड़ा करती है, उसको यह तय करना होगा कि वास्तव में वह जिस विषय को सामने रख रहा है, उसका योग्य व्यक्ति उसके पास है किनहीं, आखिर वे ढूंढते हैं, लेकिन जब कोई नहीं मिलता है तो किसी को भी पकड़ पर

बिठा लेना और बाद में वह जो कहे और वह लाइव पूरा देश देखे, हो सकता है किलोग उससे असहमत हों, नाराज़ हो जाएं, उसकी आलोचना कर दें, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे, जो साफ-स्वच्छ बच्चों का जो मानस होता है, उसको अगर वे प्रभावित कर गए, तो वह नुकसान करेगा।

सभापति महोदय, जनसंख्या के इन्हीं कारणों से मेरे जैसा व्यक्ति चिन्तित होता है और मानता है कि इन सब में हमको एकजुट होना चाहिए कि जनसंख्या में हम अटल जी की उस बात को तो ध्यान में रखते हैं कि वोट के लिए तो सिर गिने जाते हैं और काम के लिए हाथ गिने जाएंगे। अगर वे सही दिशा में हैं तो वे लाभ देंगे, लेकिन अगर एक प्रतिशत हाथों में हथियार चले जाएंगे तो देश और समाज का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए ऐसा कहना कि थ्योरी एक सी हो सकती है, सबका अपना मानस हो सकता है, सबका अपने सोचने का तरीका हो सकता है। मुझे लगा कि यह सदन में रखना चाहिए, इस नाते मैं इस विधेयक को ले कर आया हूँ।

सभापति महोदय, मैं अपेक्षा करता हूँ कि लोग इस पर चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से कोई रास्ता निकलेगा और मेरे जैसे लोगों के मन में जो छोटी-मोटी शंकाएं हैं, सरकार उनका समाधान करेगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सर, एक बड़ी बात है कि आज गतिरोध दूर हुआ है। जो गतिरोध कई दिनों से लोक सभा में चल रहा था, किसी भी कारण हो, आज गतिरोध दूर हुआ है, और गतिरोध इस प्राइवेट मैंबर्स बिज़नस में भी दूर हुआ है। दो सालों से एक गतिरोध चल रहा था, वह गतिरोध आज दूर हुआ है। प्रह्लाद जी का यह जो विधेयक है, जब हमने देखा और सुना कि यही बिल आज आने वाला है, तो मैंने सोचा कि अच्छी बात है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, टैलिविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज़ रैग्युलेशन बिल, 2015 पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहली दृष्टि में तो मुझे लगा कि यह तो कंपनीज़ एक्ट के जरिए हो सकता है और यह रैग्युलेशन की आवश्यकता क्या है। जैसे कंपनी बनती है और कपंनी बंद होती हैं, उसका एक कायदा है। उस हिसाब से कंपनी एक्ट के अनुसार यह रैग्युलेटिड होना चाहिए। जो चीज़ अपने वक्तव्य में प्रह्लाद जी ने एक-एक कर के जो बिंदुएं रखे हैं, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर और भी गौर करने की जरूरत है। क्योंकि इन्होंने इस विधेयक में रैग्युलेटरी मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा है, रैग्युलेशन शब्द व्यवहार किया है, यह सिर्फ कंपनी के जरिए ही हो सकता है कि नहीं, इसका उत्तर हम मंत्री जी की तरफ से सुनना चाहेंगे। कंपनी एक्ट के जरिए यह होगा या इसके लिए अलग रैग्युलेटरी बॉडी बनाने के लिए एक प्रस्ताव इस विधेयक में है। उसके हिसाब से आज सुनने के लिए मिलेगा। But what I find is that there are hardly 42 lines in the Bill. There are six lines on the front page and another 36 lines on the other page. These are hardly 42 lines. In these 42 lines, when one goes through the details of the Bill or when one reads through the lines, the basic idea that crops up in my mind is this. Is he asking for a licensing body?

अगर किसी को कम्पनी बनानी है, वह कम्पनी एक्ट के ज़रिये कम्पनी बनेगी। अगर किसी को बंद करना है तो वही रेग्युलेटरी बॉडी के ज़रिये पहले परमिशन लेगी, अप्लाई करेगी, उसके बाद अगर वह परमिशन मिलती है, तो उस हिसाब से उसको बंद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने क्लॉज 4 में रखा है "The Central Government shall, within six months of the coming into force of this Act, constitute a Committee to be known as the Regulatory Committee.

The Regulatory Committee shall consist of three persons representing the television broadcasting companies." जिसका एक्सपर्टाइज है, इन्होंने नहीं लिखा कि मैनेजरियल होगा या नहीं और इससे जो crux of the

Bill इन्होंने रखा है, "Three persons representing the employees of television broadcasting channels as Members." अपनी बात कहने के लिए और स्टेकहोल्डर्स के इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह एक प्रोविजन इन्होंने प्रस्तावित रेग्युलेटरी कमेटी में रखा है। पर क्लॉज 5 में जो यह लिखा है- "A company which intends to close down the operation of its broadcasting channel shall apply to the Regulatory Committee in such form and manner as may be prescribed."

That means it will be done by the rules. इनका प्रस्ताव है, जो-जो रूल बनेगा, जब भी बनेगा, यह सारे पार्लियामेंट में प्रस्थापित होगा। So, protecting the interest of the employees of private channels or even Government channels, is the first and foremost priority of this Bill.

"The Regulatory Committee, before taking a decision on closing down of a television broadcasting channel, should give an opportunity of being heard to the employees of that channel."

But the employees should not be left in the lurch. That is what he has stated, and perhaps, he is aware जिस तरह कई कम्पनियाँ बनीं, it might have happened in Madhya Pradesh. It might have happened in many parts of the country. It has also happened in North-East. Many channels came up with the liberalisation process that started in the late last century and with the opening of our market, investments were made. But subsequently, as we know, the law of nature always prevails. Law of nature means जो फिट है, जो फिटेस्ट है they only survive. Survival of the fittest, जिसको हम कहते हैं they only survive. फिटेस्ट की जो डेफिनेशन है, वह अपने-अपने विचारों में अलग-अलग मायने रखते हैं। आज के जमाने में जो स्मार्ट है, जो कनिंग है, जो सराउंडिंग्स में एडेप्ट कर सकते हैं, वह बच सकते हैं, वह सरवाइव कर सकते हैं और लॉ ऑफ नेचर वही है कि जो सराउंडिंग्स में एडेप्ट कर सकते हैं, वही सरवाइव करते हैं। I would say that the Regulatory

Committee shall take a decision within three months. यह एक अच्छी बात है कि it is done in a time bound manner. It is not an open-ended provision कि एक ऐप्लिकेशन आ गई, तभी आप निर्णय ले सकते हैं। The basic purpose of this Bill is to protect the interests of the employees of the closed company. When a channel closes down, the management should be made accountable at least to its employees. दो चीज़ें उन्होंने इस विधेयक में रखी हैं कि यह रेग्युलेटरी कमेटी के सामने अपने वक्तव्य रखेंगे और अपने एम्प्लॉइज का वर्जन सुनने के लिए भी एक मौका मिलेगा। Normally, in our Companies Act, this provision is not there and we have fly-by-night companies which operate but suddenly the next morning we do not know whether that company exists or not. Or, is there any accountability of those companies or not? We have also seen during this Government how they have acted forcefully against the shell companies. Thousands of shell companies were apprehended after the demonetisation, and strong action was taken.

But what is the situation today in the country and even throughout the world? Explosion of information is taking place. Anurag ji is present in this House. He is chairing the Standing Committee on Information Technology. He is very much aware of the operation of various channels in our country and also outside. It is because of the amount of information which is exploding all around us what to understand and what to leave out has become very difficult.

There are many channels as we all know. There are news channels, entertainment channels, channels on yoga and medicines etc. There are different types of channels just as there are different types of shops in a market. If I go to market and if I have to buy certain things, I have to go to that particular shop only.

Now, these channels also try to have their own clients. But a new word 'infotainment' has come into being. It is information plus entertainment. That is perhaps the *mantra* today and that is how the channels are surviving. Some years back and not recently, a notice was sent to those channels asking that their channels were registered as news channels and why they were broadcasting content on entertainment. I do not know what subsequently has happened to that notice. But infotainment has become the rule of the day and in many news channels we find the content on entertainment, especially during the lunch hour and after the lunch hour.

I would say that managing a channel is a very challenging job. Taking advantage of the presence of the hon. I&B Minister, I would like to say something. I am reminded of a cameraman who, some months back, was covering election preparations in Maoist area of Chhattisgarh. That cameraman was from Odisha. He was trained in Biju Patnaik Film Academy in Cuttack. That cameraman served in the Armed Forces also. After taking VRS, he came back and wanted to join and take up a challenging job. He had taken it up for himself. I think that the Minister is aware about his family. He went there and fell to the bullets of Maoists. Three other survived but here was a young person who fell to the bullets of Maoists. This man was a youngman, as I said, but my concern here is that he died there on duty. It is not because that he was an employee of Prasar Bharati that the Government has to do something for the family, but the society also has a responsibility for that family. He took that job as a challenge. Though he was escorted by some armed personnel while going into that area, he went there where nobody was willing to go. But I would like to understand what steps have been taken to give succour to his family, to his wife and children.

I would also like to impress upon the Mover of this Bill, why not extend the scope of this Bill to protect the interests of the temporary workers who are working both in private and in Government channels. There are different names given to them, like daily casual labourers. I am just putting the word 'temporary'. So, there are different types of people. A large number of young boys and girls also work in those companies and their future is at stake. They got a job by facing competition and they are working in that company. If that company is unable to survive then we have to provide certain amount of social security so that something can be done for them.

There are other angles to look at it. Companies are formed by public money. Responsibility is taken up by the creator of that company. Money is provided by banks and the market. Money is not of the owners alone. Therefore, when companies are formed they are regulated by the company law. Shri Prahlad Singh Patel wants that when they are forced to close down, adequate provision should be made to protect the interest of the employees.

Content actually determines what type of channel it is. I mentioned about the market, but it is more like a jungle. As in nature, so also in this media world, it is they who survive who are tactful, who adapt themselves to the situation and to the surroundings. Many also die. Once Shri Rajinder Mathur, who was the Editor Nav Bharat, Indore those days, came to our newspaper office to address our subscribers and our people there. He said, 'A tiger can only survive in a jungle which has grass.' The general response was: What has the tiger got to do with the grass? After all, tiger does not eat grass. Tiger is a carnivorous animal. What has that to do with the grass? Then he explained, tigers

survive on those which eat grass. That means, tiger survives on those cows, dears, etc. which eat grass. So, a jungle which does not have grass cannot have tigers also.

I would like to impress upon the Mover of this Bill that a number of channels would come up, but at the same time a number of channels would also die. But as a responsible society, our Government also has to take steps to protect the interests of those people who are employed there in order to see that they are not left in the lurch. That is the purpose of this Bill. Shri Prahlad Patel has drawn the attention of this House towards a position which has been overlooked. I hope the House will support this Bill.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय सभापति जी, श्री प्रहलाद पटेल जी द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया गया है, उस पर आज चर्चा हो रही है। मैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां (विनियमन) विधेयक, 2015 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

निश्चित तौर से यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है कि जो कंपनियां अपने चैनल को प्रसारित करती हैं, वे खुलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। आज कंपनियों की भरमार हो गई हैं। इतनी कंपनियां तथा चैनल्स बने हैं, जिनके विनियमन का कोई कानून नहीं होने से निश्चित तौर पर उन पर कोई अंकुश नहीं रह पाता है। आज तरह-तरह के समाचार प्रसारित होते हैं, अश्लील चैनल्स दिखाए जाते हैं, अश्लील सीरियल्स दिखाए जाते हैं, इनसे बच्चों तथा आम आदमी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उनको आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। निश्चित तौर से यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बिल पर विचार करके, जैसे यहां चर्चा

हो रही है, उनके नियंत्रण के लिए कोई न कोई कानून निश्चित तौर से बनना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है।

आज भी देखा जाता है कि जो कंपनियां बंद हो जाती हैं, उनमें जो कर्मचारी होते हैं, वे घूमते रहते हैं और उनका वेतन भी बाकी रह जाता है। चैनल जो विषय प्रसारित करते हैं, उन विषयों की भी इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। कर्मचारियों के विषय में कहना चाहूंगा कि उनका कोई मिनिमम वेतन निर्धारित नहीं है। वे दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहते हैं। निश्चित तौर से इस पर विचार होना चाहिए। जैसा मैंने कहा है, हिंसा वाली फिल्में और सीरियल दिखा कर समाज पर कुप्रभाव डालने का काम हो रहा है। उस पर काफी कुछ यहां पर सरकार ने कानून भी बनाया, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। इस पर भी निश्चित तौर से विचार होना चाहिए। ये जो चैनल्स हैं, ये ग्रुप बना करके किसी विषय को ले करके, जिसके पीछे पड़ गए, वही विषय चला-चला करके निगेटिव बातों को प्रसारित करके एक तरह से लोगों को ब्लैकमेल करने का भी काम करते हैं। इस पर अंकुश होना चाहिए। यह देखा गया है कि कोई विषय आ गया, सब लोग ग्रुप बनाकर काम करते हैं। चुनावों तक में देखा जाता है कि आप इतना करिए, इतना आप सबको पैकेज देना पड़ेगा, नहीं तो हम ये चीज प्रसारित करेंगे, इस तरह की बातें कह कर भी लोगों को ब्लैकमेल करने का काम होता है। इस पर विचार करके इनको नियंत्रित करने का काम होना चाहिए। इसी तरह से यहां पर छोटी-छोटी शुभकामनाएं दीजिए। अब दीवाली आ रही है, हर एक की एक सीमा होती है, उसका एक आर्थिक स्टैटस होता है। वह एक सीमा तक ही तो कर सकता है। अगर किसी ने नहीं किया, तो फिर उसको निगेटिव रूप से प्रसारित करने के लिए ढूंढते रहते हैं, जो स्थानीय स्तर पर लोग होते हैं, वे ढूंढते हैं कि किस तरह से इनको डीफेम किया जाए।

ऐसे तमाम उदाहरण हैं। महोबा के हमारे साथी सांसद बैठे थे और चर्चा कर रहे थे। उनके खिलाफ उन्होंने झूठी खबर प्रसारित कर दी। वहां पर उनको सफाई देनी पड़ी, अपनी पीड़ा को बताना पड़ा इसी लोक सभा में। माननीय

पुष्पेन्द्र चंदेल जी अभी यहां बैठे थे। इस तरह के तमाम प्रकरण होते रहते हैं। इसको भी देखने की जरूरत है।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। जो सामूहिक डिबेट प्रसारित करते हैं, उसमें कभी-कभी युद्ध की नौबत आ जाती है। उसमें कोई न कोई आचार-व्यवहार तय होना चाहिए कि जो लोग डिबेट में जाएं, वे किस तरह से बात करें। इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहते हैं, बात करते हैं, तो उस डिबेट में भी वहां पर आचार-व्यवहार का पालन कराने का भी प्रयास होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं, उसमें चार-छः लोग बैठ गए, जो अपने-अपने पक्ष की बात रख रहे हैं। वहीं डिबेट स्तर पर उनका युद्ध होने लगता है। इन सब चीजों को देखने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए कोई न कोई प्रयास होना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि चैनल के जो निचले स्तर के कर्मचारीगण हैं, उनकी कोई न कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। अभी तक कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है। जिसको भी चाहें, उसको बैठा दिया, माइक पकड़ा दिया, वे जाकर काम कर रहे हैं, उनकी कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है। उनके पास कम से कम कोई डिप्लोमा या डिग्री उस स्तर की होनी चाहिए, जिससे वे ठीक से काम कर सकें। उनको प्रेस-मीडिया लाइन का अनुभव भी होना चाहिए। यह भी देखने की जरूरत है।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ज्यादातर ऐसे जो चैनल्स हैं, उनमें बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों का कब्जा है, क्योंकि वे ही चैनल चला सकते हैं, जिसके पास काफी पैसा होगा, बड़े व्यापारिक घराने होंगे। कुछ इस पर भी विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से बड़े व्यापारिक घरानों के नियंत्रण से इसको मुक्त किया जाए। अधिकतर देखा जा रहा है कि जितने भी चैनल्स हैं, किसी न किसी बड़े व्यापारिक घराने से संबंधित हैं और उसका उस पर नियंत्रण है। उसमें वे अपने हित चिंतन भी करते हैं और उसी के अनुसार सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का भी काम करते हैं। इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

अभी माननीय प्रहलाद जी ने कहा, वास्तव में यह विषय गंभीर है। ज्यादातर चैनल्स निगेटिव बातों की ओर ज्यादा ध्यान देने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने कितने अच्छे काम किए, साढ़े चार साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कितनी प्रगति की, कितनी योजनाएं लागू कीं, उनका कितना लाभ लोगों को मिला है, इन सब बातों को भी उनको सार्थक रूप से रखने का काम करना चाहिए। यह देखा जाता है कि ज्यादातर निगेटिव बातें प्रसारित होने से देश में एक निराशा का भाव पैदा होता है।

मैं कहना चाहता हूं कि उनको पॉजिटिव चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए, विशेष तौर से पॉजिटिव बातों को भी प्रसारित करने का काम करना चाहिए। विशेषकर, हमारी सरकार ने जो काम किया है या जो अन्य अच्छे काम होते हैं, उन सभी की प्रशंसा करने का काम करना चाहिए, जो मैडल लेकर आ रहे हैं, सेना ने जो बहादुरी का काम किया है, ऐसी चीजों को प्राथमिकता देने का काम उन सबको करना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की बातों को हमारे चैनल प्रसारित करने काम बहुत कम करते हैं। दिल्ली और मुम्बई जैसे महानगरों में कोई छोटी घटना भी हो जाती है तो उस घटना को बड़े ढंग से प्रसारित किया जाता है, लेकिन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अगर कोई बड़ी घटना भी हो जाती है तो वह उस चैनल पर नहीं आ पाती है।

जब कोई अच्छा काम हो जाता है, उस चैनल पर नहीं आ पाता है, वहां की जो समस्याएं होती हैं, वह नहीं आ पाती है, उस तरफ भी इन चैनलों को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं।

आपने देखा होगा कि चैनलों में लगातार 'सूत्र' कहते हैं, यह सूत्रों की खबर है, भ्रामक प्रचार करने का काम किया जाता है। इस पर निश्चित तौर से अंकुश होना चाहिए। इस विधेयक से अंकुश लगेगा, इसमें ऐसी व्यवस्था करने का काम होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, उस न्यूज में कुछ नहीं रहता है लेकिन आ गया ब्रेकिंग

न्यूज, वहां से सनसनी पैदा करने का काम होता है। इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। यही बात कह कर पुन: पटेल जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापति महोदय, मैं माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी द्वारा जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज इस बिल पर गहन चर्चा हुई। मैं अपनी बात बहुत कम समय में रखना चाहता हूं। पिछले सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा चल रही थी, उस समय मैं मतदान में उपस्थित था।

इन्हीं चैनलों की जिनकी आज बात हो रही है, उस समय मतदान के समय सदन में उपस्थित था, उसी समय हमारे यहां कुछ टेलीविजन चैनलों द्वारा यह चलाया जा रहा था कि हमीरपुर के सांसद पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल पत्रकारों पर फायरिंग कर रहे हैं।

मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यह है कि इस बिल पर महत्वपूर्ण बात रखने की आवश्यकता है कि अनेक लोग जो एक्सपर्ट नहीं हैं, आपने अनेक बार समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि फलां साधु ने गलत काम कर दिया, जिनको यह नहीं पता कि जो गलत काम कर रहा है, वह साधु नहीं है, वह साधु वेशधारी हो सकता है, लेकिन ऐसे कुछ कम पत्रकार हैं, जो कम पढ़े-लिखे हैं, उनकी आईडी लेकर और आई कार्ड बना कर जो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, वहीं उनके कारण अच्छे समाचार पत्र चैनलों को अपमानित करने का काम करते हैं। हम लोगों को यह बात जरूर करनी चाहिए। दूसरी तरफ, युद्ध में अपने यहां इस तरह से लोग रिपोर्टिंग करते हैं, उनको गोली लगती है, अभी छत्तीसगढ़ में बस्तर में चुनाव हुए। एक कैमरामैन ने जिस तरह से कवर कर रहे थे, उनको गोली लगी, वे कैमरा को अपनी तरफ घुमा कर कहा कि हो सकता है कि मैं न बचूं, लेकिन रिपोर्टिंग करना मेरा धर्म है, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, उनकी

जान चली गई। मैं आपके माध्यम से यह बात रखना चाहता हूं कि जो सकारात्मक पत्रकारिता करते हैं, एक सामाजिक उत्तरदायित्व के नाते जो प्राइवेट लोग हैं, उन सभी चैनलों और सभी समाचार पत्रों के माध्यम से उनको रेग्युलर करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सदस्य प्रहलाद सिंह जी ने जो प्राइवेट मेंबर बिल रखा है, मैं उनकी भावना की सराहना करना चाहता हूं। देश में तकरीबन 800 से ज्यादा चैनल हैं। हमारे कुछ कायदे-कानून होते हैं। आज सदन में काफी बातें हुई हैं, उसकी देख-रेख हो जाती है, अप-लिंकिंग की परमिशन मिलती है, डाऊन-लिंकिंग की परमिशन मिलती है, जिस तरह का कन्टेंट टीवी चैनल पर चलाएंगे, उसे केबल टेलीविजन एक्ट के तहत निर्धारित किया हुआ है।

उसमें गाइडलाइन्स दी हुई हैं कि वे किस तरह की खबरें चला सकते हैं, कहां गलत है। पहला चैनल लेने के लिए कितनी नेट वर्थ होनी चाहिए और दूसरा चैनल लेने के लिए कितनी नेट वर्थ होनी चाहिए। इसकी परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है। उनको हम एक लंबे समय के लिए लाइसेंस देते हैं। हम उनको दस वर्ष के लिए लाइसेंस देते हैं। उन्हें सिर्फ हम से नहीं, बल्कि डब्ल्यूपीसी से भी परमिशन लेनी पड़ती है, सेटेलाइट की परमिशन लेनी पड़ती है। इन सभी को करने के बाद जो भी मीडिया हाऊस या चैनल को चलाने आता है, उनको कंटेंट इस तरह का चलाना होता है, जिसको व्यूअर्स पसंद करें। उनको कहीं न कहीं एक विश्वसनीयता बनानी पड़ती है। अपने कंटेंट के ऊपर एक फेथ डेवलप करना पड़ता है। किस क्वालिटी के उनके एंकर्स तथा कॉरेसपॉन्डेट्स हैं, किसी तरह का एनालिसिस हो रहा है, जनता द्वारा कहीं न कहीं उनको परखा जाता है।

आज सिर्फ टेलीविजन चैनल्स ही नहीं, बल्कि अब तो ओवर द टॉप ट्रांसमिशन हो रहा है। इंटरनेट द्वारा सीधे-सीधे मोबाइल फोन या डिवाइसेस पर आ रहा है। अब सीरियल्स बहुत बड़े पैमाने पर ओवर द टॉप आ रहे हैं। उसी के साथ आजकल खबरें ओवर द टॉप आ रहे हैं। यह एक तरह से एक एक्स्प्लोज़न हो रहा है, जो बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। इन सब के अंदर जो लोग आते हैं, उनमें अपने आप एक नेचुरल सेंस ऑफ कम्प्टीशन आता है। जिस तरह से महताब साहब ने कहा था, उन्होंने एक शेर का उदाहरण दिया। वहां सर्वाइवल की बात आती है, जो हर तरह से सबसे बेहतर होगा, वही आगे बढ़ पाएगा।

एक बात यह भी हुई कि चैनल्स की जवाबदेही होनी चाहिए। श्री प्रह्लाद सिंह जी ने यह बात रखी थी। हमने कई लेवल्स के ऊपर इसको एन्श्योर किया हुआ है। सबसे पहला लेवल है, खुद मीडिया चैनल्स या जर्नलिस्ट जवाबदेह है, उसके बाद दूसरा आता है, जहां मीडिया हाऊस से बाहर निकल कर उनकी जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। इसमें तीन-चार तरह की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। अगर विज्ञापन आता है, तो उसके लिए आस्की (ASCI) है। अगर एंटरटेंमेंट संबंधित कोई कंटेंट है तो उसमें बी-ट्रिपल सी है। उनकी इंडस्ट्री की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। अगर खबरें हैं, तो एनडीएसए है। ये इंडस्ट्री की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी हैं। इनके अलावा एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वह इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी (आईएमसी) है। एक इडिपेंडेंट अथॉरिटी भी है, वह है आई.एम.सी, इंटर मिनिस्ट्री रेल कमेटी। कहीं पर भी किसी भी देखने वाले को यह लगता है कि कहीं भी वायलेशन हो रहा है किसी भी चीज का, उसको लगता है कि यह परिवार के लायक नहीं है या गलत है, तो इन सभी एजेंसीज़ को सीधे-सीधे लिख सकता है, मीडिया हाउस को भी लिख सकता है। उसके अंदर कानून बने हुए हैं। उसी प्रकार अधिकारियों के जो कर्मचारी हैं, उनकी देख-रेख की बात की है, मैं भावना को समझता हूं और उसको सराहता भी हूं । लेकिन, वह जितनी भी कर्मचारियों की देख-रेख की बातें हैं, वह सब कंपनी एक्ट के अंदर पहले से ही है। हर कंपनी सिर्फ मीडिया की कंपनी नहीं हर एक कंपनी जब कोई चलाता है, तो उन्हें उस एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। उसके अंदर से कायदे-कानून

दिये हुए हैं। उनको हर तरह से फॉलो करना पड़ता है। हर कंपनी के अंदर लोग मेहनत वाले होते हैं और मेहनत वाला ही आगे बढ़ पाता है। यह तो पूरी दुनिया का एक नियम है। उसके अंदर जो सोशल सिक्योरिटी होती है, वह भी जो कंपनी के लॉज होते हैं, उसमें दी हुई होती है। भर्तृहरि साहब ने कहा कि ये जो कंपनियां बंद होती हैं, अगर मीडिया हाउसेज बंद होते हैं, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। टाइट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है, लैक ऑफ व्यूअरशिप, अगर फेथ नहीं है तो आपका कंटेंट नहीं चलेगा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट अगर ठीक नहीं है तो नहीं चलेगा। But these are market-driven, market forces. यानी मार्केट उसको डिसाइड करेगा कि यह आगे चलना चाहिए या यह लायक नहीं है इस देश के अंदर चलने के लिए। जैसा मैंने कहा कि 800 से ज्यादा चैनल्स हैं। उनमें से कुछ सर्वाइव करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन, हो सकता है जो सर्वाइव न करें, उनमें से कुछ अच्छे लोग कहीं दूसरी जगह चैनल्स में जाकर काम कर सकते हैं। So, This is entirely an independent process. जो देश के अंदर चलता रहता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हमारे कैमरामैन थे छोटा नंद शाहु, जो ओडिशा के रहने वाले थे। उनके अंदर एक कमिटमेंट था। उसी तरह बहुत-सारे ऐसे मीडिया के कर्मचारी हैं, सिफ मीडिया ही नहीं, और भी देश के सेक्टर हैं।

18 00 hrs

जब ये कमिटेड लोग काम करते हैं तो अपने आप न केवल उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे लोगों का ध्यान रखे, बल्कि सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है। यह हमारे देश की संस्कृति रही है कि हम अपने से ज्यादा अपनों के लिए काम करते हैं। इसलिए कहीं न कहीं वह अपनापन दिखता है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस आज चार-पांच मिनट लेट शुरू हुआ था, इसलिए सदन का समय पांच-सात मिनट बढ़ा दिया जाए।

माननीय सभापति : अगर सदन की अनुमति हो तो सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): सभापति जी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने फिल्मों के बारे में कहा कि फिल्में किस तरह से चलती हैं, एक ही बात को बार-बार दिखाना, चैनल्स के अन्दर पैनल में युद्ध की स्थिति बन जाती है और चैनल्स को या मीडिया हाउसेज को पॉजिटिव बातें दिखानी चाहिए। इन सभी बातों के लिए हमारे पास रूल्स बने हुए हैं। फिल्में 'यू' या 'यूए' सर्टिफिकेशन आ सकता है, उसके लिए सीबीएफसी जिम्मेदार है। उसी तरह से मॉडरेटर्स होते हैं, जो अपने आप उसे नियंत्रित रखते हैं। फिर उसके बाद दर्शक होते हैं, जब किसी चैनल के बारे में शोर मचता है तो उसके दर्शक अपने आप कम हो जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि न केवल दूरदर्शन, बल्कि काफी मीडिया हाउसेज पॉजिटिव न्यूज को दिखा रहे हैं। पुष्पेन्द्र सिंह ने भी इस बात को इम्फेसाइज किया कि गलत खबरें चलती हैं।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य ने जो बात की है, बहुत जेनुइन बात कही है। वह चीज कुछ नहीं थी, लेकिन खबर चल रही थी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): सभापति जी, जो गलत खबरों की बात उन्होंने की, मैं इससे सहमत हूं कि अगर कभी ऐसी खबर आती है, जैसा मैंने पहले बताया है, इनकी सेल्फ-रेगुलेटिंग बॉडीज की कोई कमी नहीं है। वे अलग-अलग लेवल्स पर काम कर रही हैं। उसके बाद सरकार की इंटर-मिनिस्टीरियल कमेटी है। अगर आपको कहीं कुछ गलत लगता है और तुरंत उसकी कम्प्लेंट की जाए तो उसके ऊपर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए काफी सीवेयर पनिशमेंट्स हैं। हम कई बार उन्हीं की सेल्फ-रेगुलेटिंग बॉडी को बताते हैं और वे उसके ऊपर एक्शन भी लेती हैं। साथ ही, अगर इंटर-मिनिस्टीरियल कमेटी उस पर एक्शन ले तो बड़े सिवियर पनिशमेंट्स हो सकते हैं, उदाहरण के लिए एक महीने, दो महीने के लिए या उसका पूरा लाइसेंस विदड्रॉ कर सकते हैं।

मोटे तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि आज सदन में जो बातें उठाई गई हैं, वे सभी कहीं न कहीं, चाहे हमारे मंत्रालय के जो नियम-कायदे हैं, उनमें कवर होती हैं या दूसरे मंत्रालय के रूल्स-रेगुलेशन्स में कवर होती हैं। पूरी तरह से, पहले से यह इसके अन्दर शामिल है और फिर एक तरह से मार्केट फोर्सेज डिसाइड करती है कि कौन से मीडिया हाउसेज कितना आगे बढ़ पाएंगे और किस तरह के पत्रकार आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि मंत्रालय इसको सपोर्ट नहीं करता है और मैं इस विधेयक को वापस लेने के लिए आपसे आग्रह करता हूं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): आपने सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभापति जी, मैं इसको गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आप खुद मानते हैं कि कंपनी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कंपनी बन्द करने के साथ, उनके इम्प्लाइज के बारे में सोच जाएगा। मैंने अपने भाषण में यह बात भी कही थी कि जो आदमी उनका रेगुलर एम्प्लाई नहीं, जिसे कार्ड नहीं मिला है, उसके लिए न तो पी.एफ. की व्यवस्था है, न कभी उसे इसका रास्ता मिल सकता है। मैं अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करता था, मेरे मन में यह भाव उसके कारण ही आया था। इसके लिए कोई फोरम नहीं है। मुझे मालूम है कि अगर मेरे खिलाफ प्रिंट मीडिया में कुछ होगा तो मैं उसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जा सकता हूं। प्रसार भारती बना है, अगर मेरे खिलाफ कोई बात आती है तो मैं वहां जा सकता हूं, लेकिन वह एम्प्लाई नहीं जा सकता है। जो प्राइवेट चैनल है, जो देश के बाहर रजिस्टर्ड है, उसका एम्प्लाई वहां नहीं जा सकता है। इसके बाद ही मैंने कमेटी की बात कही है। मैं जानता हूं कि कंपनी एक्ट के द्वारा किस सीमा तक काम हो सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारे स्थापित प्लेटफार्म्स कहां तक राहत देते हैं। ये चीजें आपको भी पता हैं। आप भी मानते हैं कि वह मामला कंपनी एक्ट में जाएगा। इसलिए मेरा मानना है

कि ऐसे मीडिया हाउसेज में काम करने वाले छोटे कर्मचारी से लेकर, अगर कोई फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है जो वहां रेगुलर एम्प्लाई के रूप में नहीं है, जिसका वहां पी.एफ. नहीं कटता है, ऐसे लोग भी वहां पर हैं। जिनको वे कांट्रेक्ट बेसिस पर इंगेज करते हैं और अगर उनके साथ कोई हादसा होता है तो वे किसके दरवाजे पर जाएंगे। मैं किसी मीडिया हाउस का नाम लेकर यहां नहीं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिन लोगों को बाहर निकाला गया, उनको आठ-दस महीने तक वेतन नहीं मिला, आज भी नहीं मिला और उसके बाद उनको कहा गया कि आप थोक पैसा ले लीजिए। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं लेबर लॉ भी जानता हूं, मैंने उसमें भी काम किया है। इस नाते मैंने कहा था कि किसी काउंसिल की व्यवस्था हो।

माननीय सभापति: मंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे, इसलिए आप इसको देख लें। आपकी मंशा को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने कहा है कि इसके अनुसार विचार करें।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : मुझे लगता है कि मंत्री महोदय एक्टिव हैं, वे खुद इस बारे में सोचते भी हैं, लेकिन मेरी मंशा केवल इतनी थी कि कम से कम उन अन-ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्टर्स के लिए कोई व्यवस्था के बारे में जरूर सोचें। यह मेरा आग्रह है।

आपने जो मंशा व्यक्त की है, उसके अनुसार मैं विधेयक वापस लेता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to withdraw the Bill to regulate closing down of broadcasting channels by television broadcasting companies and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूँ।

माननीय सभापति : अगला विधेयक आइटम नम्बर-178. श्री राजेन्द्र अग्रवाल -- उपस्थित नहीं।